प्रेस नोट

50 हजार की रिश्वत लेते संयुक्त आयुक्त सहकारिता ई0ओ0डब्ल्यू0 सागर टीम द्वारा रंगे हाथ गिरफतार

आवेदक दिग्विजय सिंह उर्फ घनश्याम राजपूत (लोधी) नि. पनवारी तह. घुवारा जि. छतरपुर (म.प्र.) द्वारा ई0ओ0डब्ल्यू0 सागर में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें सेवा सहकारी समिति पनवारी जिला छतरपुर में रिक्त सेल्समेन के पद पर आवेदक की नियुक्ति हेतु शिवेंद्र देव पांडेय, संयुक्त आयुक्त सहकारिता. सागर संभाग, सागर द्वारा 1 लाख रूपये की मांग किये जाने का आरोप लगाया था।

आवेदन पत्र के सत्यापन के दौरान आरोप सही पाए गए और आरोपी द्वारा आवेदक के कार्य के लिए रिश्वत की मांग किया जाना पाया गया। आवेदक द्वारा 1 लाख रूपये की व्यवस्था में असमर्थता जताने पर संयुक्त आयुक्त सहकारिता शिवेंद्र देव पांडेय 50 हजार रुपये की रिश्वत लेने के लिए तैयार हो गया।

आज दिनांक 23/07/2025 को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई सागर की टीम द्वारा आरोपी संयुक्त आयुक्त सहकारिता सागर संभाग शिवेंद्र देव पांडेय को आवेदक से 50 हजार रूपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया। पंच साक्षी के समक्ष विधिवत आरोपी संयुक्त आयुक्त के हाथ केमिकल से धुलवाने पर गुलाबी रंग के हो गए। सहकारी समिति पनवारी जिला छतरपुर में रिक्त सेल्समेन के पद पर आवेदक की नियुक्ति का प्रस्ताव समिति द्वारा पारित कर अनुमोदन हेतु संयुक्त आयुक्त सहकारिता के कार्यालय में लंबित था। आरोपी के विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

ट्रैप टीम में ई0ओ0डब्ल्यू0 सागर से उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती उमा नवल आर्य,निरीक्षक श्री प्रशांत मिश्रा,निरीक्षक श्री आदेश जैन, उप निरीक्षक श्रीमती अंजलि तिवारी, उप निरीक्षक श्रीमती सोनल पाण्डेय, सूबेदार(अ) कु. रोशनी सोनी, उनि(अ) श्री अतुल पंथी, प्रधान आरक्षक श्री आसिफ अली, श्री बृजेन्द्र सिंह राजपूत, श्री रामसजीवन यादव,प्रधान आरक्षक (चालक) श्री अफसर अली, आरक्षक श्री आशीष मिश्रा, श्री अंकित मिश्रा ,श्री आकाश दीक्षित की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

/